

पंचायत स्वशासन से ग्रामीण भारत में बदलाव

माड्युल PRIs 04

पंचायत बजट एवं ग्राम विकास योजना



Azim Premji
Philanthropic
Initiatives



“सचेत” परियोजना : एक साझी पहल

टी.आर.आई.एफ. कार्यक्रम

समय	विषय	विषयकस्तु	पद्धति	अपेक्षित परिणाम
00.30	● परिचय	● आपसी परिचय	● सहभागी पद्धति से परिचय	●
00.45	● ग्राम पंचायत का वित्तीय बजट कैसे बनायें	● क्यों जरूरी है पंचायत बजट ● बजट के मुख्य आयाम	● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब	● पंचायतों को बजट बनाना क्यों आवश्यक है इस पर समझ
01.00	● पंचायतों को कैसे प्राप्त होती है धनराशि ?	● पंचायतों को कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है धनराशि ● वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली धनराशि ● 14 वें वित आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली धनराशि	● अभ्यास ● संवाद ● सवाल जबाब	● पंचायतों को कहाँ कहाँ से राशि प्राप्त हो सकती है और होती है इस पर समझ
01.00	● कैसे बनाये पंचायत का बजट	● ग्राम सभा का बजट अनुमान क्या है। ● अनुपूरक बजट क्या होता है ● पुनर्विनियोजन क्या है। ● बजट बनाने की प्रक्रिया	● खुली चर्चा ● संवाद ● सवाल जबाब	● बजट बनाने की प्रक्रिया पर समझ ● बजट बनाते समय किन किन बातों का क्ष्याल रखना आवश्यक है इस पर समझ
01.00	● ग्राम पंचायत के विकास की योजना क्या, क्यों और कैसे	● सुक्ष्मस्तरीय नियोजना क्या है। ● सुक्ष्म स्तरीय नियोजना के चरण क्या क्या ?	● भाषण ● संवाद ● सवाल जबाब	● ग्राम स्तरीय नियोजना प्रक्रिया के चरणों पर समझ

नोट :- सत्रों के संचालन में प्रायस किया जाये अगर संसाधन नहीं है तो उन सत्रों को सहभागी रूप से संचालित किया जाये भाषण पद्धति का उपयोग कम से कम किया जाये। जैसे अगर फ़िल्म दिखाने के संसाधन नहीं है तो उसके द्वश्यों पर चर्चा की जाये,

परिचय

परिचय एक महात्पूर्ण प्रक्रिया है किसी प्रशिक्षण के वातावरण निर्माण की इस लिए इसे सावधानी पूर्व किया जाए। परिचय के माध्यम से प्रशिक्षण पर प्रवेश करने में मदद मिलती है। यदि प्रतिभागियों को एकत्र होने में 1–2 घंटे लगने की संभावना हो तो विस्तृत परिचय की विधि चुने जिसमें परियच के साथ साथ विषय के संबंध में भी कुछ चर्चा हो सकती है। जिससे की प्रतिभागियों की विषय पर समझ ज्ञान रुचि एवं अनुभवों का आंकलन किया जा सके और आगे आने वाले सत्र इस जानकारी पर आधारित हो सके। प्रयास करना चाहिए कि परिचय रुचिकर हो और प्रतिभागियों के अनुकूल हो। नीचे कुछ परिचय विधि दी हुई है लेकिन आप सोच समझकर कोई अन्य विधि भी प्रयोग कर सकते हैं।

परिचय विधि नंबर-1

सामान्यतः देखा गया है कि प्रशिक्षण या बैठकों में सहभागियों को इकट्ठा होने में 30–40 मिनिट का समय लग जाता है। यदि ऐसी स्थिति हो तो सहजकर्ता यह करें –

सहभागियों का पंजीयन करते जाएं और विषम पंजीयन क्रमांक (1,3,5,...) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत कर पायी?

इसी प्रकार सम पंजीयन क्रमांक (2,4,6,...) वाले सहभागियों से निम्न प्रश्न पूछते जायें –

कोई एक ऐसा काम जो पंचायत नहीं कर पायी?

सहजकर्ता सहभागियों द्वारा दिये गये जवाबों की सूची तैयार करते जायें। इस प्रक्रिया में सहजकर्ता एक-एक कर सभी सहभागियों से परिचित हो पाएंगे, समय का सदुपयोग हो सकेगा तथा पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये कामों की सूची भी तैयार हो जाएगी। सहजकर्ता, सहभागियों के साथ चर्चा कर उन्हें यह जानने और अहसास कराने का प्रयास करें कि जो काम हो पाये उनके क्या कारण थे तथा जो नहीं हो पाये उनके क्या कारण हैं।

परिचय विधि नंबर-2

यदि सभी सहभागी एक साथ आ जाएं तो सहभागियों को उनकी संख्या अनुसार छोटे-छोटे समूह में बाटें। प्रत्येक समूह को परिचय विधि नं0–1 में दिये गये दोनों प्रश्नों के जवाब में पंचायत द्वारा कराए गए और नहीं कराए गये काम बताएगा। सहजकर्ता, सहभागियों द्वारा दी गई जानकारियों को सूचीबद्ध कर दोनों प्रकार कामों के कारणों का सहभागी तरीके से विश्लेषण कराएं।

परिचय विधि नंबर-3

जोडे में परिचय कराना जिसमें अपने साथी का परिचय देना है। परिचय के साथ आप किसी भी तरह के उचित प्रश्न जोड़ सकते हैं जैसे—परिवार के बारे में जानकारी, मोहल्ले की परेशानियों के बारे में, दिनचर्या के बारे में इससे लोगों को सहज बनाने में मदद मिलती है।

यहाँ पर प्रतिभागियों को प्रथम माड़युल में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी इस माड़युल में पूनः पंचायतों पर संक्षिप्त चर्चा करते हएं सत्र को संचालित करना है।

प्रथम सत्र

00.45

ग्राम पंचायत का वित्तीय बजट कैसे बनायें

1. पंचायत का बजट अनुमान क्या है ?

ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा हर साल मिलने वाली धनराशि और उससे किए जाने वाले कामों का अनुमान लगाया जाता है, जिसे “पंचायत का बजट अनुमान” कहते हैं। इसके लिए पंचायत को दो प्रमुख बातों पर विचार करना होता है, पहला अगले साल कितनी धनराशि प्राप्त होगी और दूसरा उस धनराशि से वह क्या—क्या काम करवा सकती है? इसे एक निश्चित प्रारूप में भरा एवं तैयार किया जाता है।

1.1 क्यों जरूरी है पंचायत का बजट?

पंचायतों के लिए बजट बनाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इससे –

- पिछले वर्ष प्राप्त आय एवं किए गए व्यय की वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है।
- आगामी वर्ष में होने वाली आय एवं किए जाने वाले व्यय के बारे में पता चल जाता है।
- कर लगाने में मदद मिलती है। पंचायत को कर लगाने की जरूरत की पहचान होती है।
- किसी खास एवं जरूरी काम के लिए राशि जुटाने में आसानी हो जाती है।
- सामुदायिक विकास की नई योजनाएं बनाने में आसानी होती है।
- योजनाओं का निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है।

पंचायत बजट व वित्तीय व्यवस्था संबंधी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(आई) एवं 243(जे) में पंचायत के वित्तीय प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार :—

- हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जायेगा। यह आयोग राज्य को टैक्स, टोल टैक्स, एवं अन्य प्रकार की फीस से होने वाली आय पंचायतों को आवंटित किए जाने के बारे में अनुशंसा करेगा।
- राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अनुशंसा करेगा।
- राज्यों को पंचायतों के आय-व्यय एवं हिसाब-किताब के ऑडिट के लिए नियम का अधिकार है।
- राज्यों में जिला स्तर पर पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा तैयार किए गए बजट को समेकित करने और पूरे जिले का बजट व योजना प्रारूप बनाने के लिए जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में बजट संबंधी कानूनी प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अनुसार :—

- प्रत्येक ग्रामसभा द्वारा हर साल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट बनाना जरूरी है (धारा 7ज)। ग्रामसभा द्वारा बजट बनाने की प्रक्रिया “म.प्र. ग्रामसभा (बजट अनुमान) नियम 2001” के अंतर्गत दी गई है।
- पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत तीनों इकाइयों (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) द्वारा हर साल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट बनाना जरूरी है। इसी बजट के अनुसार आगामी वर्ष में आय व्यय किया जाएगा—धारा 73(1)।
- ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का बजट बनाने की प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा नियम जारी किए गए हैं। ये नियम है— मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997, मध्यप्रदेश जनपद पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997 एवं मध्यप्रदेश जिला पंचायत (बजट अनुमान) नियम 1997।

1.2 बजट के मुख्य आयाम :—


किसी भी बजट के दो मुख्य आयाम होते हैं, एक प्राप्तियां और दूसरा व्यय।

प्राप्तियां : प्राप्तियों का मतलब प्राप्त होने वाली राशि या ‘आय’ से है। पंचायत की तीनों इकाइयों द्वारा अपना बजट बनाते समय यह देखा जाता है कि उनकी आय के स्रोत क्या हैं और किन स्रोतों से आगामी वर्ष में कितनी आय होगी।

व्यय : बजट का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम ‘व्यय’ है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि आगामी वर्ष में किन—किन कामों में कितना अनुमानित खर्च होगा? बजट में आमतौर पर उतना ही व्यय रखा जाता है, जितने कि आय होने की संभावना होती है। साथ ही पंचायतों को सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि जिस कार्य के लिए एवं शर्त पर दी जाती है, उसे बजट में भी उसी कार्य के लिये खर्च में दिखाया जाता है।

पंचायत में कहाँ-कहाँ से प्राप्त होती है धनराशि,

पंचायत को तीन प्रमुख स्रोतों से आय होती है, पहला सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त राशि, दूसरा वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि और तीसरा पंचायत को अपने स्रोतों से होने वाली आय।



2.1 वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलने वाली राशि

केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए दिशा निर्देश सुझाने हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा हर पांच साल में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले, एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की जाती है कि कितने संसाधन केन्द्र सरकार के पास होंगे तथा कितने संसाधन राज्य सरकारों और कितने संसाधन स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत एवं नगरीय निकायों को आवंटित किए जाएंगे। अभी तक भारत में चौदह वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान में 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू हैं।

2.2 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त धनराशि

73 वें संविधान संशाधन के अनुच्छेद 243(6) (अनुसूची ग्यारह) के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए विषयों से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, 14 वे वित्त आयोग की अनुशंसा पर, केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

14 वे वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को राशि वितरण का आधार :

राशि वितरण का आधार : सभी ग्राम पंचायतों को उनकी वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के आधार पर 10 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी।

राशि का स्वरूप : 14 वे वित्त आयोग द्वारा राशि को निम्नानुसार दो हिस्सों में प्रदान किया गया है। कुल राशि का 90 प्रतिशत मूल अनुदान तथा 10 प्रतिशत कार्य निष्पादन (परफारमेंस) अनुदान होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर निधि की उपलब्धता 5 वर्षों के लिए 2404 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से और औसत ग्राम पंचायत के लिए 17 लाख प्रति वर्ष (5 वर्षों के लिए 85 लाख) के हिसाब से होगी।

ग्राम पंचायतों द्वारा 14 वें वित्त आयोग के कार्यों की योजना हर साल ग्राम सभा की बैठक में स्वीकृति प्राप्त कर, जनपद पंचायत को प्रेषित की जाएगी। प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग उसी कार्य पर खर्च किया जाएगा, जिसके लिये वह आवंटित की गई है। ग्राम पंचायत राज्य वित्त आयोग मद से एवं 14 वें वित्त आयोग मद से प्राप्त राशि का उपयोग दोनों के अंतर्गत सहमति वाले समान कार्यों के लिए सम्मिलित योजना तैयार कर सकती है।

14 वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान –

1. सामुदायिक अधोसरचनाएं
2. पेयजल व्यवस्था एवं जल प्रदाय योजना
3. सामुदायिक स्वच्छता
4. जल संरक्षण एवं संवर्धन
5. अन्य कार्य : सौर ऊर्जा का उत्पादन, पुरातात्त्विक धरोहरों की रक्षा, पुस्तकालयों की स्थापना आदि।
6. परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं उनकी साफ–सफाई
7. तकनीकि एवं प्रशासनिक व्यय : एक वित्तिय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत तक।

पंच परमेश्वर योजना

वर्तमान में मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग की राशि अलग से आवंटित नहीं की जाती, बल्कि सभी मदों की राशियों को एक साथ मिलाकर “पंच परमेश्वर योजना” के नाम से ग्राम पंचायतों को एक मुश्त राशि आवंटित की जाती है, ताकि ग्राम पंचायत उस राशि से अपनी किसी बड़ी आवश्यकता को पूरी कर सकें। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राशि आवंटित की जाती है, जो इस प्रकार है:-

- 2000 की जनसंख्या पर 5 लाख रूपये प्रति वर्ष।
- 2001 से 5000 की जनसंख्या पर 8 लाख रूपये प्रति वर्ष।
- 5001 से 10000 तक की जनसंख्या पर 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष।
- 10000 से अधिक जनसंख्या पर 15 लाख रूपये प्रतिवर्ष।

पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत पंचायतों के दैनिक कार्यों हेतु वार्षिक अनुदान

ग्राम पंचायतों द्वारा 14 वे वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशियों में से पंचायत के दैनिक कार्यों के लिये प्रति वर्ष नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार धनराशि व्यय की जा सकेगी।

क्र.	कार्य मद	जनगणना 2011 के अनुसार पंचायत की कुल जनसंख्या			
		2000 से कम	2001 से 5000	5001 से 10000	10000 से अधिक
		(राशि रूपये में)			
1.	चौकीदार तथा ग्रामों में सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था। इसमें पारिश्रमिक, सामग्री एवं संसाधन का मूल्य शामिल है।	30000	45000	80000	150000
2.	स्टेशनरी, कम्प्यूटर स्टेशनरी और सामग्री	10000	15000	20000	20000
3.	ग्राम पंचायत कार्यालय के बिजली बिल तथा बिजली संबंधी मरम्मत।	15000	20000	20000	20000
4.	ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भवनों का रख—रखाव और मरम्मत। सामुदायिक/मांगलिक भवन का विद्युत व्यय	250000	30000	40000	50000
5.	लेखे—जोखों का संधारण एवं डेटा एन्ट्री	10000	10000	10000	10000
6.	टी.वी. कनेक्शन, सार्वजनिक पर्व/कार्यक्रम तथा अन्य आकस्मिकताएं	10000	30000	50000	50000
	कुल योग	100000	150000	220000	300000

नोट : उपरोक्त तालिका में दर्शाए विभिन्न कार्यों/मदों के लिए निर्धारित राशि में बचत की दशा में बचत राशि साफ—सफाई व्यवस्था में व्यय की जावेगी।

योजनाओं से प्राप्त होने वाली राशि

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कई विकास योजनाएं संचालित की जाती है। गांव स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है। वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि को पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत दिया जाता है। पंच परमेश्वर के अलावा अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि की जानकारी इस प्रकार है –

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी का कानूनी अधिकार है। मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों से लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही गांव में आजीविका संसाधनों का निर्माण होगा और लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा की राशि से अब निम्नलिखित कार्य करवाए जा सकते हैं।

मनरेगा में कराए जा सकने वाले कार्य

- जल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्य, जैसे – खेतों में पालाबंदी, कंटूर ट्रेंच, छोटे बंधान निर्माण आदि।
- सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधा रोपण सहित) के कार्य।
- सिंचाई, नहर निर्माण (माइक्रो एवं लघु सिंचाई कार्यों सहित)।
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही/भूमि सुधार के हितग्राही अथवा अजा/अजजा के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य।
- परम्परागत जल स्रोत संरचनाओं के पुनरुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित) का कार्य।
- भूमि विकास के कार्य।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी संबंधी कार्य।
- बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग का निर्माण।
- केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कार्य।

मनरेगा के अंतर्गत कई उपयोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है जिनमें कपिलधारा, नंदन फलोद्यान, भूमि शिल्प, रेशम, वन्या, निर्मल वाटिका और निर्मल नीर उपयोजना प्रमुख हैं।

मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों में कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी पर खर्च करना जरूरी है। यानी सामग्री पर 40 प्रतिशत से अधिक राशि खर्च नहीं की जा सकती। मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक जॉब कार्डधारी परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की दर पर दिया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा कुल जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या को ध्यान में रखकर मनरेगा योजना के तहत कार्यों का नियोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी ग्राम पंचायत में 100 जॉब कार्डधारी परिवार हैं। अब यदि प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना हो तो, वर्तमान में तय न्यूनतम मजदूरी दर से पंचायत को साल भर में कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी इसे नीचे दी गई गणना से समझ सकते हैं –

न्यूनतम मजदूरी दर (172 रुपये) \times 100 दिन \times 100 (कुल परिवार संख्या) = कुल 17,20,000 रुपये

अर्थात् सभी जॉब कार्ड धारी परिवार को सौ—सौ दिन का रोजगार देने के लिये पंचायत को एक साल में सत्रह लाख 20 हजार रुपये केवल मजदूरी भुगतान के लिये चाहिये होंगे।

अन्य स्रोत

ऊपर दी गई योजनाओं में ग्राम पंचायतों को सरकार से नियमित रूप से राशि मिलती है। इसके लिए हर साल बजट तैयार किया जाता है और उसके आधार पर राशि मिलती है। किन्तु कुछ मद ऐसे हैं, जिनसे नियमित रूप से पंचायतों को राशि नहीं मिलती, बल्कि जिस पंचायत से मांग आती है उस पंचायत की मांग पर विचार करके राशि आवंटित की जाती है। इसके अंतर्गत विधायक निधि, सांसद निधि, जनपद एवं जिला पंचायत के फंड से राशि प्राप्त की जा सकती है।

विधायक और सांसद निधि

विधायकों और संसद सदस्यों को अपने—अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार है। विधायक और संसद सदस्य क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो समस्याएं देखते हैं या लोग उनसे जो मांग करते हैं, उन मांगों को उचित पाए जाने पर वे उस काम की घोषणा करते हैं। किन्तु उनके द्वारा सिर्फ घोषणा कर दिए जाने मात्र से ही काम नहीं हो जाता। हर जिले में एक जिला योजना समिति होती है, उसके सचिव जिला कलेक्टर होते हैं। विधायक एवं संसद सदस्य अपने मद से जो काम करवाना चाहते हैं, उसे लिखित में जिला योजना समिति को देते हैं। जिला योजना समिति द्वारा उस काम के लिए राशि आवंटित की जाती है।

कैसे प्राप्त करें विधायक एवं सांसद निधि?

कई बार विधायक एवं सांसद निधि की मौखिक मांग करना ज्यादा असरकारक नहीं होता, क्योंकि इससे काम के महत्व के बारे में उन्हें पता नहीं चलता है। अतः अपने विधायक एवं सांसद से लिखित में एवं पूरी जानकारी देकर राशि की मांग करना बेहतर होता है। इसके लिए सबसे पहले काम का चयन कर ग्राम सभा में काम की जरूरत एवं प्राथमिकता का लिखित में आकलन करें। इसके बाद यह देखें कि उस काम में कितना खर्च होगा। प्राक्कलन हेतु संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी की मदद ली जा सकती है। इसके उपरांत ग्रामसभा में काम के प्रस्ताव को पारित करवाएं।

- विधायक या सांसद महोदय को दिये जाने वाले आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाएं:—
 - समस्या प्रभावित लोगों की संख्या और उसके बारे में किए गए आकलन की रिपोर्ट।
 - प्राक्कलन की प्रति।
 - ग्रामसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति।
- उपरोक्त आवेदन अपने क्षेत्र के विधायक व सांसद को दें।

गांव में प्राप्त होने वाली अन्य राशि

ऊपर दी गई राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है और उसके लिए ग्राम पंचायत अपना वार्षिक बजट बनाती है। किन्तु कुछ राशियां ऐसी भी हैं जो ग्राम पंचायत के बजाय ग्राम स्तरीय समितियों को कुछ खास विषय पर काम करने के लिए आवंटित की जाती हैं। इन राशियों को खर्च करने का फैसला संबंधित समितियां ही लेती हैं, किन्तु ग्रामसभा में उसकी जानकारी देना एवं उसका अनुमोदन करवाना जरूरी है।

1. **ग्राम स्वास्थ्य निधि:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 'स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति' को गांव में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण संबंधी कार्यों के लिए हर साल 10 हजार रुपये की राशि आवंटित की जाती है। यह राशि 'ग्राम स्वास्थ्य निधि' के बैंक खाते में जमा करवाई जाती है। इस खाते का संचालन समिति के अध्यक्ष एवं आशा कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।
2. **सर्व शिक्षा अभियान :** सर्व शिक्षा अभियान द्वारा स्कूलों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि आवंटित की जाती है। यह राशि प्रत्येक शाला की शाला प्रबंधन समिति के बैंक खाते में जमा होती है। इस खाते का संचालन 'शाला प्रबंधन समिति' के अध्यक्ष एवं सचिव (प्रधानाध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। शाला प्रबंधन समिति को मिलने वाली प्रमुख राशियां इस प्रकार हैः—
 - शिक्षण सामग्री (टीएलएम) क्रय करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में प्रति शिक्षक 500 रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते हैं। इस राशि से शिक्षक जरूरी शिक्षण सामग्री खरीद सकते हैं।
 - प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक विद्यार्थी को स्कूल यूनिफार्म के लिए, प्रतिवर्ष – प्रति विद्यार्थी 400 रुपये की राशि आवंटित की जाती है। यह राशि 'शाला प्रबंधन समिति' द्वारा विद्यार्थियों के पालकों के नाम चैक द्वारा प्रदान की जाती है।
 - **मेन्टेनेन्स राशि :** भवन रखरखाव के लिए प्राथमिक शाला में हर साल 5000 रुपये तथा माध्यमिक शाला में हर साल 10000 रुपये की राशि आवंटित की जाती है। यह राशि भवन मरम्मत, पुताई आदि के लिए खर्च की जाती है।
 - **कन्टन्जेसी राशि :** कन्टन्जेसी के रूप में प्राथमिक शाला में हर साल 5000 रुपए तथा माध्यमिक शाला को हर साल 7500 रुपए की राशि आवंटित की जाती है। इस राशि को टाट पट्टी, चाक, डस्टर, स्टेशनरी आदि पर खर्च किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की स्वयं की आय

करों से होने वाली आय

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया गया है। यानी ग्राम पंचायत विभिन्न प्रकार के कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती है। पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले कर दो प्रकार के होते हैं, एक अनिवार्य कर और दूसरा वैकल्पिक कर।

अनिवार्य कर

अनिवार्य कर का मतलब ऐसे कर से है, जिन्हें हर ग्राम पंचायत अनिवार्य रूप से लगा सकती है। इनमें सम्पत्ति कर, प्रकाश कर, व्यापार-व्यवसाय कर, निजी शौचालयों की सफाई पर कर आदि शामिल हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले अनिवार्य कर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा शुल्क (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के अनुसार			
क्र.	कर का नाम	कर का विवरण	किसके द्वारा दिया जाता है
1.	सम्पत्ति कर	मकानों और भूमि पर उनके मूल्य के आधार पर सम्पत्ति कर।	यह कर भवन व भूमि के मालिक द्वारा दिया जाता है।
2.	निजी शौचालयों की सफाई पर कर	यह कर तभी लगाया जा सकता है, जब ग्राम पंचायत उन शौचालयों की सफाई की व्यवस्था करती है।	निजी शौचालयों के मालिक या किराएदार द्वारा दिया जाता है।
3.	प्रकाश कर	यदि पंचायत द्वारा गांव में प्रकाश की व्यवस्था की गई हो, तो पंचायत प्रकाश कर लगा सकती है। लेकिन ऐसे धार्मिक स्थलों तथा छात्रावास पर प्रकाश कर नहीं लगाया जाएगा, जिससे उसके मालिक को कोई किराया प्राप्त नहीं होता है।	ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित मकान मालिकों या उसमें निवास करने वाले परिवार के मुखिया द्वारा दिया जाएगा।
4.	व्यापार-व्यवसाय, कलात्मक कार्य एवं आजीविका पर कर	ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर कोई व्यवसाय करते हों, या कलात्मक कार्य (कारीगरी) करते हों या व्यापार या आजीविका चलाते हो तो उस पर ग्राम पंचायत व्यवसाय कर लगा सकती है।	यह कर व्यापार-व्यवसाय या कारीगरी करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है।
5.	ग्राम पंचायत के अधीन किसी भवन के उपयोग पर फीस	यदि कोई ग्राम पंचायत के किसी भवन में अपने व्यापार-व्यवसाय के लिए सामान रखते हैं या ग्राम पंचायत की किसी भी सम्पत्ति का उपयोग करते हैं तो ग्राम पंचायत उस पर फीस ले सकती है।	ग्राम पंचायत के भवन या सम्पत्ति का व्यापारिक उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा यह फीस दी जाती है।
6.	पशुओं के बेचने पर फीस	यदि ग्राम पंचायत के अंतर्गत किसी बाजार या स्थान पर पशुओं की बिक्री की जाती है तो ग्राम पंचायत पशुओं के रजिस्ट्रेशन पर फीस ले सकती है।	यह फीस पशुओं को खरीदने वाले द्वारा दी जाएगी।

ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य करों की दर

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस

(शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के अनुसार

कर का विवरण	न्यूनतम	अधिकतम
सम्पत्ति कर		
6000 रुपये से 12000 रुपये मूल्य के भवन व भूमि पर	100 रुपये पर 20 पैसा की दर से	100 रुपए पर 30 पैसा की दर से
12000 रुपये से अधिक मूल्य के भवन व भूमि पर	500 रुपये पर 1 रुपया की दर से	500 रुपये पर 1.50 रुपया की दर से
ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यापार-व्यवसाय, कारीगरी एवं आजीविका पर कर		
11000 से 15000 रुपये वार्षिक आय पर	100 रुपए	200 रुपये
15001 से 20000 रुपये वार्षिक आय पर	150 रुपये	300 रुपये
20001 से 30000 रुपये वार्षिक आय पर	200 रुपये	400 रुपये
30001 से 40000 रुपये वार्षिक आय पर	300 रुपये	600 रुपये
40001 से 50000 रुपये वार्षिक आय पर	450 रुपये	900 रुपए
50001 या इससे अधिक वार्षिक आय पर	650 रुपये	1400 रुपये
ग्राम पंचायत के किसी भवन के व्यावसायिक उपयोग पर फीस		
उपयोग किए जा रहे भवन के आकार के अनुसार फीस	30 पैसे प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर या 8 रुपए प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर की दर से	50 पैसे प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर या 14 रुपए प्रतिमाह प्रति वर्ग मीटर की दर से
रखे गए सामान के अनुसार फीस	25 पैसे प्रति टोकरी या 50 पैसे प्रति थैला की दर से	50 पैसे प्रति टोकरी या 1 रुपया प्रति थैला की दर से
पशुओं की बिक्री पर रजिस्ट्रेशन फीस		
सूअर, बकरा, बकरी, गधा, बछड़ा	3 रुपये	20 रुपये
भैसा, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी	5 रुपये	25 रुपये

वैकल्पिक कर

'वैकल्पिक' कर के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नियम बनाए गए है। जिसे "मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996" कहा जाता है। इसके अनुसार ग्रामसभा द्वारा वैकल्पिक कर लगाने के बाद ग्राम पंचायत की बैठक में उस पर विचार किया जाता है और किस बात पर कितना कर लगेगा इसकी सूची तैयार कर पंचायत में ढोंडी पिटवाकर सभी को सूचना दी जाती है। साथ ही इसकी जानकारी पंचायत भवन में एवं सार्वजनिक रथानों पर चिपकाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को इस कर पर कोई आपत्ति हो तो वह ग्राम पंचायत में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त अपत्ति पर विचार कर, उस पर लिए गए निर्णय की जानकारी जनपद पंचायत में भेजी जाएगी।

मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले वैकल्पिक कर	
कर और उसका विवरण	राशि
सवारी के काम आने वाले पशुओं के मालिकों पर कर	10 रुपये प्रति वर्ष
कुत्ते और सुअर पालने वालों पर कर।	2 रुपये प्रतिवर्ष
सराय, धर्मशालाओं आदि के उपयोग के लिए कर	<ul style="list-style-type: none"> ● बरामदे पर 50 पैसे प्रतिदिन। ● 3 x 3 मीटर या इससे छोटे कमरे पर 2 रुपये प्रतिदिन। ● 3 x 3 मीटर से बड़े कमरे पर 4 रुपये प्रतिदिन। ● फर्नीचर युक्त कमरे पर 8 रुपये प्रतिदिन। ● शिविर भूमि 3 x 3 मीटर तक – कोई कर नहीं। ● शिविर भूमि 3 x 3 से अधिक पर 30 पैसे प्रतिदिन।
कसाई घर	2 रुपए प्रति पशु
जलकर –नलों से जल की व्यवस्था के लिए	नल–जल व्यवस्था के संचालन एवं रखरखाव पर होने वाले खर्च के अनुसार।
जल निकासी – जिन पंचायतों में जल निकासी पद्धति आरंभ की गई है।	भवन के मूल्य का 0.1 प्रतिशत
ग्राम पंचायत क्षेत्र में खरीददार, दलाल, आढ़ितया, तौलने वाले या मापने वाले के रूप में आजीविका चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा देय।	<ul style="list-style-type: none"> ● सामान्य खरीददार, दलाल या आढ़ितया पर 25 रुपये प्रति वर्ष। ● अन्य वस्तुओं के दलाल के लिए – 10 रुपये प्रति वर्ष। ● तौलने एवं मापने वाले के लिए 5 रुपये प्रतिवर्ष।
ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले	5 रुपये प्रति दिन प्रति वाहन।

वाहनों के मालिकों पर कर (मोटर को छोड़कर)	
सार्वजनिक शौचालय के निर्माण, रख—रखाव एवं कूड़ा करकट की सफाई के लिए	5 रुपये प्रति घर प्रति माह
बस स्टैण्ड, तांगा स्टैण्ड के लिए फीस	20 रुपये प्रति वर्ष
किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान पर कोई अस्थाई निर्माण करने या किसी निर्माण का कोई भाग आगे बढ़ाने या उसका अस्थाई रूप से उपयोग करने के लिए फीस	2 रुपये प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन।
ग्राम पंचायत की अनुमति से चरागाह में पशुओं चराने के लिए फीस	20 रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष

स्व—कराधान प्रोत्साहन योजना

ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर होने के लिए उनके द्वारा करों की वसूली बहुत जरूरी है। इसी बात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा स्व—कराधान योजना लागू की गई है। दिनांक 1 अप्रैल 2013 पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें, जिन्होंने एक वर्ष में 5 लाख या उससे अधिक की राशि कर के रूप में वसूल की है, उन्हें 50 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। जिन ग्राम पंचायतों ने 1 लाख से 5 लाख रुपये तक की राशि करों के रूप में वसूल की है, उन्हें 15 लाख रुपए तथा 10 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि कर के रूप में वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।

ग्राम पंचायत को मिलने वाली इस राशि को पंचायत कार्यालय का निर्माण, उनमें फर्नीचर, बिजली उपकरण एवं पेयजल हेतु वाटर कूलर आदि की व्यवस्था पर खर्च किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में आंगनबाड़ी भवन, नाली निर्माण, सीमेंट रोड, सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ केन्द्र का निर्माण कराया जा सकता है। स्ट्रीट लाईट में लगने वाली लाईट आदि की व्यवस्था भी इस राशि से की जा सकती है।

ग्राम कोष

“मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम” की 7(जे) में हर गांव में ग्राम कोष बनाने का प्रावधान है। ग्राम कोष मे अलग—अलग चीजों के लिए अलग—अलग कोष होते हैं, जिनमें – अन्न कोष, श्रम कोष, वस्तु कोष तथा नगद कोष शामिल है। इन सभी कोषों में ग्रामवासियों के योगदान से सामग्री प्राप्त की जाएगी, वहीं जिला पंचायत निधि से गांव को मिलने वाली राशि जैसे भू—राजस्व पर उपकर, गौण खनिज पर प्राप्त रायल्टी, मछली पकड़ने के अधिकार के पट्टे, चराई फीस, शाला भवन उपकर से प्राप्त आय आदि शामिल की जाएगी।

- अन्न कोष** – ग्रामवासियों द्वारा अपने खेतों से उपजे अनाज में से अपनी इच्छा और हैसियत के अनुसार अनाज अन्न कोष में दान के रूप में दिया जा सकता है। अन्न कोष में प्राप्त अनाज से भूमिहीन एवं गरीब-वंचित लोगों को बेरोजागारी एवं संकट के समय अनाज दिया जा सकता है।
- श्रम कोष** – श्रम कोष का मतलब लोगों द्वारा किए जाने वाले श्रमदान से है। मान लीजिये लिए किसी गांव में 100 परिवार निवास करते हैं और वे ग्रामसभा में तय करते हैं कि हर परिवार साल में कम से कम पांच दिन श्रम दान करेगा तो यहां के श्रम कोष में 500 कार्य दिवस उपलब्ध हैं।
- वस्तु कोष** – लोग चाहे तो ग्राम कोष में कोई वस्तु देकर भी अपना योगदान कर सकते हैं। एक रजिस्टर में उस वस्तु का नाम, उसकी स्थिति एवं उसका मूल्य लिखा जाएगा।
- नगद कोष** – गांव में आर्थिक रूप से सम्पन्न लोग नगद कोष में अपना योगदान दे सकते हैं। नगद कोष में जमा करने पर उसकी रसीद दी जाएगी तथा उसका हिसाब लिखा जाएगा। नगद कोष सहित सभी प्रकार के कोषों के उपयोग के बारे में फैसला ग्रामसभा लेगी।

तृतीय सत्र

01.00

कैसे बनाए ग्राम पंचायत बजट ?

ग्राम पंचायत का सालाना बजट बनाने की पहली सीढ़ी है, ग्राम सभा का बजट बनाना। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्रामसभा एक संवैधानिक इकाई है और उसके फैसले को अंतिम एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रामसभा के बजट को व्यवस्थित रूप से बनाने के लिए तथा गांव में विकास कार्यों की जिम्मेदारी लोगों को बांटने के लिए, गांव स्तर पर ग्रामसभा की स्थाई समितियां बनाई गई हैं। इनमें ग्राम विकास समिति को ग्रामसभा के सालाना बजट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अतः ग्राम विकास समिति द्वारा हर साल आगामी वर्ष के लिए ग्रामसभा का बजट अनुमान तैयार कर उसे ग्रामसभा की बैठक में रखा जाता है।

बजट के लिए प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाना जरूरी है। अगले वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी, इसका अनुमान पिछले दो वर्षों में प्राप्त राशि का औसत निकालकर लगाया जा सकता है।

प्राप्तियों का अनुमान लगाने के बाद खर्च का अनुमान भी पिछले वर्ष के खर्च को देखकर लगाया जा सकता है। कुछ नियमित खर्च – वेतन/ बिजली बिल/ मरम्मत/ कोई नए काम करवाना/ योजनाओं का क्रियान्वयन व्यय, आदि भी अनुमानित खर्च में रखे जाते हैं।

ग्रामसभा का बजट अनुमान

ग्राम सभा का बजट बनाने के लिए, सबसे पहले 'ग्राम विकास समिति' द्वारा यह देखा जाता है कि गांव में आगामी वर्ष में किन-किन कामों की जरूरत पड़ सकती है? लोगों की समस्याएं क्या हैं? उन्हें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साल भर में मिलने वाली राशि से कौन-कौन सी समस्याएं हल की जा सकती

है? उनमें से कौन सी समस्या सबसे पहले हल करना जरूरी है? तथा ग्रामवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं आजीविका विकास के लिए क्या किया जा सकता है? इन सब सवालों पर विचार करके 'ग्राम विकास समिति' ग्रामसभा का बजट अनुमान तैयार करती है।

'ग्राम विकास समिति' द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमान पर ग्रामसभा में चर्चा होती है। ग्रामसभा के सदस्य चाहें तो सर्वसमिति से उसमें कोई काम जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं। ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित होने के बाद ग्रामसभा का बजट अनुमान अंतिम रूप लेता है और इसके बाद उसे ग्राम पंचायत की 'सामान्य प्रशासन समिति' को भेजा जाता है।

ग्रामसभा का बजट अनुमान तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है

- किस योजना में कितनी राशि प्राप्त होगी, इसका अनुमान लगाने में सावधानी रखना चाहिए। यानी वह वास्तव में सही होना चाहिए। उसमें अनुमान से अधिक राशि नहीं रखें।
- किस योजना में कितनी राशि मिलेगी, इसका अनुमान पिछले दो वर्षों में प्राप्त राशि के औसत से लगाएं।
- स्थाई खर्च, जैसे – भाड़ा, भत्ते, वेतन आदि के मद में मिलने वाली वास्तविक राशि ही लिखें।
- आकस्मिक खर्च के लिए अनुमान पिछले दो सालों में हुए आकस्मिक खर्च के आधार पर लिखें।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के लिए जो राशि जिस काम या योजना के लिए दी जाती है, उसे उसी में खर्च किया जाए।
- यदि ग्रामसभा द्वारा कोई राशि उधार प्राप्त की गई है तो उसके मूलधन और ब्याज को चुकाने की गुंजाइश भी बजट में रखी जानी चाहिए।
- यदि बजट वर्ष के आंकड़ों और पिछले वर्ष के आंकड़ों में 10 प्रतिशत से अधिक की घट-बढ़ हो तो उसे स्पष्ट करें।
- अन्न कोष, वस्तु कोष, श्रम कोष में मिलने वाली सहायता या नगद सहायता का हिसाब-किताब लिखित में रखा जाना चाहिए।
- अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए बजट में पर्याप्त राशि रखें।
- बजट अनुमान में राशि को सौ के निकटतम गुणांक में लिखें, जैसे 640 को 600 या 660 को 700।
- बजट के मदों में रखी गई राशि पूरी तरह उचित है, इसे स्पष्ट करने के लिए अलग से एक नोट लिखें।

अनुपूरक बजट क्या है ?

ऐसे जरूरी काम, जो वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट अनुमान में शामिल नहीं हो पाते हैं, इन्हें बाद में वार्षिक बजट अनुमान में शामिल करने के लिए जो बजट बनाया जाता है, उसे अनुपूरक बजट कहा जाता है।

पुनर्विनियोग क्या है ?

पुनर्विनियोग का मतलब है, एक काम के लिए रखी गई राशि को दूसरे काम के लिए उपयोग करना। आमतौर पर ऐसा करना नियमों के विरुद्ध माना जाता है। परन्तु किसी परिस्थिति में इसकी आवश्यकता हो तो इसके लिए ग्राम सभा से अनुमोदन और संबंधित अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी है।


बजट शीर्ष क्या है ?

बजट में प्राप्तियों और खर्च के विषय को “बजट शीर्ष” कहा जाता है। ग्राम सभा के बजट और पंचायतों के बजट के लिए सरकार द्वारा बजट शीर्ष तय किए गए हैं। किसी भी आय-व्यय को उससे संबंधित बजट शीर्ष में ही लिखा जाता है।

मध्यप्रदेश ग्रामसभा (बजट अनुमान) नियम 2001 के अनुसार बजट बनाने संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है:-

- ग्रामसभा की अन्य स्थाई समितियों द्वारा आगामी वर्ष के लिए कार्ययोजना ग्राम विकास समिति को प्रस्तुत की जाएगी। ग्राम विकास समिति उन कार्य योजनाओं के आधार पर पूरे गांव का बजट अनुमान तैयार कर ग्रामसभा में प्रस्तुत करेगी (नियम 3)। ग्रामसभा में बजट अनुमान पर चर्चा की जाएगी। ग्रामसभा द्वारा बजट अनुमान का अनुमोदन करने के बाद उसे मान्य माना जाएगा (नियम 4)।
- बजट तैयार करने और ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन के लिए समय-सीमा तय की गई है, जो इस प्रकार है –
 - ❖ विभिन्न स्थाई समितियों द्वारा हर साल 31 दिसम्बर तक कार्य योजना तैयार कर ग्राम विकास समिति को प्रस्तुत की जाएगी।
 - ❖ ग्राम विकास समिति द्वारा हर साल 7 जनवरी तक बजट अनुमान तैयार किया जाएगा।
 - ❖ ग्रामसभा द्वारा हर साल जनवरी माह के अंतिम दिन से पहले तक बजट अनुमोदन के प्रारूप पर विचार किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसका अनुमोदन किया जाएगा।(नियम 5)
- बजट मंजूर होने से यह नहीं समझा जाएगा कि उसे व्यय करने का अधिकार मिल गया है (नियम 7)।
- यदि किसी काम में आवंटित होने वाली राशि से अधिक राशि रखी गई हो तो यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि बाकी राशि किस स्रोत से प्राप्त की जाएगी। यदि उस व्यय के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी की मंजूरी की जरूरत हो तो उस व्यय को करने से पहले उसकी मंजूरी प्राप्त की जाएगी (नियम 8)।
- विभिन्न व्यय और आय के लिए प्रस्तावित समस्त प्रावधान अनुमोदित बजट शीर्ष के अनुसार ही रखे जाएंगे (नियम 12)।
- सरकार के अनुमोदन के बिना बजट शीर्ष की सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और वे ही शीर्ष ग्रामसभा द्वारा रखे गए सभी लेखाओं (एकाउंट्स) में उपयोग किए जाएंगे (नियम 13)।

ग्रामसभा और ग्राम पंचायत का बजट बनाने की प्रक्रिया



बजट तैयार करने की समय सीमा

वार्षिक बजट हर साल 1 अप्रैल से लागू होता है, अतः इससे पूर्व बजट पास होना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के बजट अनुमान के लिए समय सीमा तय की गई है, जो इस प्रकार है:-


क्र.	बजट अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया	विहित अधिकारी (यह प्रक्रिया कौन करेगा,)	अंतिम तारीख (जिसके पूर्व तक कार्यवाही पूरी किया जाना है।)
1.	आगामी वर्ष की कार्य योजना की प्रस्तुति	ग्राम पंचायत की विभिन्न स्थाई समितियों द्वारा सामान्य प्रशासन समिति को	हर साल 31 जनवरी तक
2.	पंचायत को आगामी वर्ष के लिए मिलने वाली संभावित धनराशि की जानकारी	जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत को दी जाएगी।	हर साल 31 जनवरी तक
3.	बजट अनुमान का प्रारूप तैयार करना।	ग्राम पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा	हर साल 7 फरवरी तक
4.	बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन	ग्राम पंचायत द्वारा	हर साल 21 फरवरी तक
5.	अनुमोदित बजट अनुमान ग्राम पंचायत द्वारा जनपद	ग्राम पंचायत द्वारा	हर साल फरवरी के अंतिम दिन

	पंचायत को प्रस्तुत किया जाएगा।		
6.	बजट अनुमान का परीक्षण एवं अनुमोदन।	जनपद पंचायत द्वारा	हर साल 15 मार्च तक

जिला योजना समिति

जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट अनुमान को एक साथ मिलाकर पूरे जिले का बजट अनुमान बनाने का कार्य 'जिला योजना समिति' द्वारा किया जाता है। 'जिला योजना समिति' के अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होते हैं और जिला कलेक्टर इसके सचिव होते हैं। साथ ही जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के कुछ प्रतिनिधियों को जिला योजना समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है। जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों से प्राप्त बजट अनुमान के आधार पर 'जिला योजना समिति' पूरे जिले का वार्षिक बजट अनुमान तैयार कर उसे 'राज्य योजना समिति' को भेजती है।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट : ग्राम पंचायत से राज्य तक पहुंचने की प्रक्रिया



आडिट (अंकेक्षण)

पंचायत की वार्षिक वित्तीय प्रक्रिया बजट से शुरू होती है, वहीं आडिट उसका सबसे अंतिम पायदान होता है। आडिट में यह देखा जाता है कि राशि नियमानुसार खर्च की गई या नहीं? खर्च करने का फैसला किसने लिया? किसी काम या मद की राशि को उसी काम या मद में खर्च किया गया है या नहीं? राशि खर्च करने में की गई गड़बड़ियों को आडिट से पता लगाया जा सकता है।

ग्रामसभा के आय-व्यय के आडिट के प्रावधान 'मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज एवं पंचायत राज अधिनियम' की धारा 7(ट) में दिए गए हैं। वहीं इस अधिनियम की धारा 129 में पंचायत इकाइयों के आडिट साबंधी प्रावधान है। धारा 129(2) के अनुसार पंचायतों के आय-व्यय के आडिट के लिए राज्य सरकार आडिटर नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश पंचायत संपरीक्षा नियम 1997 के जरिये प्रदेश सरकार द्वारा आडिट के नियम-कायदे तय किए गए हैं। इसके अनुसार आडिट संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है –

- सभी पंचायत इकाइयों (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत) की आय-व्यय का आडिट हर साल करवाया जाएगा। यह आडिट अगला वित्तीय वर्ष पूर्ण होने से पहले करवाया जाएगा।
- जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के आडिट करवाने का आदेश कमिश्नर तथा ग्राम पंचायत के आडिट करवाने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा। आडिट के लिए सरकार द्वारा आडिटर नियुक्त किए जाते हैं।
- किसी विशेष परिस्थिति में संबंधित अधिकारी किसी पंचायत इकाई के आडिट करवाने का आदेश किसी भी समय जारी सकते हैं।
- आडिट के समय ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव एवं जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वे आय-व्यय संबंधी सभी दस्तावेज आडिटर के सामने प्रस्तुत करें।
- आडिटर को यह अधिकार है कि वे पंचायत इकाई के सभी दस्तावेजों की छानबीन कर सकते हैं, पंचायत कार्यालय में कहीं भी पहुंच कर दस्तावेजों एवं संबंधित वस्तुओं को देख सकते हैं।
- आडिटर पंचायत कार्यालय से किसी भी दस्तावेज (कैश बुक, वाउचर, बिल आदि) को कार्यालय से नहीं हटा सकते।
- आडिटर एक सप्ताह पहले संबंधित पंचायत इकाई (ग्राम पंचायत के सचिव एवं जनपद व जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को) आडिट करने की लिखित सूचना देंगे।
- आडिट करने के बाद आडिटर अपनी रिपोर्ट संबंधित पंचायत इकाई को देंगे।
- ग्राम पंचायत द्वारा आडिट रिपोर्ट ग्रामसभा में प्रस्तुत की जाएगी और ग्रामसभा द्वारा आडिट रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाएगा।
- हिसाब-किताब में गड़बड़ी पाए जाने पर आडिटर किसी पंचायत प्रतिनिधि या अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने, वसूली करने या उन्हें हटाने की सिफारिश कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत की विकास योजना कैसे बनायें


73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी अधिकांशतः ग्राम पंचायतों की है। इस संशोधन से स्थानीय लोगों को अपने गांव व पंचायत की विकास योजना बनाने का अधिकार मिला है। ग्राम पंचायत में होने वाले हर काम की योजना अब सभी ग्रामीणों को ही मिलकर बनानी है। यदि किसी पंच के वार्ड में कुछ काम होना है, तो पहले वह अपने वार्ड में सभी के साथ बात करे, योजना बनाए और उसे ग्रामसभा में रखे। विकास योजना बनाते समय हम कई बार गांव के उन वार्डों को भूल जाते हैं जहाँ आदिवासी और दलित समुदाय के लोग रहते हैं अथवा जहाँ पंच महिला हैं। कई बार वे स्वयं भी अपनी बात नहीं रख पाते और विकास से वंचित रह जाते हैं। अतः नियोजन करते समय हमें ऐसे वार्डों का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

ग्राम पंचायत विकास योजना क्या, क्यों और कैसे

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन क्या है?

नियोजन शब्द का अर्थ है किसी काम को करने की योजना बनाना। इसका मतलब है कि किसी काम को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर ठीक से विचार एवं चर्चा कर लेना। जैसे – हम किसी काम को क्यों कर रहे हैं, उसको करने से क्या फायदा होगा, उसमें कितना खर्च आयेगा और आने वाले खर्च को कहां से जुटायेंगे, कितना समय लगेगा आदि। यह सब जान लेना आवश्यक है। आवश्यक तो यह भी है काम की शुरूआत से पहले इन बातों पर भी विचार करें कि कौन–कौन लोग क्या–क्या काम करेंगे, कौन सा काम पहले और कौन सा काम बाद में होगा। जब हम वार्ड, ग्राम या पंचायत स्तर पर इस प्रकार छोटी–छोटी योजनायें बनाते हैं तो इसे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन कहते हैं।

सामान्यतः लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि समस्याओं का समाधान करना सरकार का काम है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था का कानून कहता है कि गांव स्तर पर पंचायतें स्थापित हैं और ये पंचायतें वहां स्थानीय सरकार के रूप में काम कर रही हैं। अतः समस्याओं का निराकरण करना वहां के लोगों एवं पंचायत का काम है। यदि किसी काम में, किसी पंचायत को तकनीकी ज्ञान/मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो वह संबंधित विभाग को पत्र लिखकर इसकी मांग कर सकती है।



सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के पूर्व के चरण

ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने के लिए हमें कुछ अग्रिम तैयारी करनी होती है। आवश्यकताओं एवं संभावनाओं के आंकलन के लिए आधारभूत जानकारियों का संकलन दो स्तर पर किया जाना चाहिये। एक समुदाय के साथ व दूसरा विभागों के साथ। इन तैयारी में निम्नलिखित चरणों में कार्य किया जाना चाहिये —

1. वातावरण निर्माण
2. दस्वावेजों का संग्रहण
3. संसाधन कहां व कितने हैं, आय का आकलन
4. पंचायत के रिसोर्स एनवलेप का निर्धारण
5. नियोजन समिति का गठन

वातावरण निर्माण : ग्राम के मंजरा/टोला/ पारा/फलिया में पदयात्रा/रैली करना। पंचायत द्वारा मुनादी करना, दीवार लेखन एवं अन्य माध्यमों से लोगों को सूचना व जानकारी देना। महिला स्वयं सहायता समूहों, युवा मण्डलों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन की आवश्यकता एवं प्रक्रिया की जानकारी देना। सामुदायिक जागरूकता, गतिशीलता और विभाग स्तरीय जानकारी हेतु शिविर का आयोजन करना।

दस्वावेजों का संग्रहण करना — पंचायत की योजना बनाने के पूर्व पंचायत सचिव के साथ मिलकर गांव स्तर की तमाम जानकारी एकत्र कर लेना चाहिये। यह जानकारियां शासन द्वारा समय—समय पर कराये गए विभिन्न सर्वेक्षण और अन्य विभागीय दस्तावेजों में दर्ज होती है। सभी जानकारी को ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्र में एकजायी कर लेना चाहिए। कम्प्यूटर का प्रचलन बढ़ने के साथ ही बहुत से आंकड़े व जानकारियां विभागीय पोर्टल तथा शासन की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। विभागीय पोर्टल तथा शासन की वेबसाइटों पर मौजूद इलेक्ट्रानिक डेटा को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इससे समय बचेगा और यह जानकारी नियोजन में बहुत मददगार होगी।

- समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यगण आई.डी.

समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवास रत परिवारों एवं परिवार के सदस्यों का पंजीयन किया गया है। जिसमें परिवारों एवं परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, व्यवसाय, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, आमदनी के स्रोत, किसी योजना के हितग्राही, उनके बचत खाता नम्बर, बीपीएल, विकलांगता आदि डेटा उपलब्ध है। समग्र पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी हितग्राही मूलक योजनाओं के नियोजन में बेहद मददगार हो सकती है।

- आगंनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी

आगंनबाड़ी कार्यकर्ता के पास गांव में कुल परिवारों की सर्वे आधारित जानकारी होती है, इसमें प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विवरण, 0 से 6 वर्ष के बालक-बालिकाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ पोषण का स्तर आदि देखा जा सकता है। आगंनबाड़ी में संधारित दस्तावेजों से किशोरी बालिकाएं, शिशु, गर्भवती धात्री माताओं का विवरण, टीकारकण आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

- एएनएम/एमपीडब्ल्यू द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी
पंचायत में पदस्थ एएनएम/एमपीडब्ल्यू से गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति, बीमारियां एवं उनके उपचार से जुड़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- शिक्षकों व प्रधान अध्यापक द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी—
स्कूल में बच्चों की दर्ज संख्या, शिक्षकों की संख्या पाठ्य पुस्तक आदि का विवरण, स्कूल में शौचालय, पीने का पानी, मध्याह्न भोजन, शाला त्यागी बच्चों की संख्या आदि से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- पटवारी द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी
राजस्व के क्षेत्र में पंचायत में पदस्थ पटवारी से गांव में भूमि का प्रकार, कुल रक्बा, सिंचित असिंचित क्षेत्र के अलावा चरनोई भूमि, वन क्षेत्र, निस्तार की भूमि आदि की जानकारी के साथ सार्वजनिक स्थलों, वृक्ष आदि की जानकारी ली जा सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत में आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संसाधनों के बारे में जाना जा सकता है।
- पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध करायी जा सकने वाली जानकारी
पंचायत सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का संधारण किया जाता है, इनका उपयोग योजना निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत की क्षमता एवं कमजोरियों को जानने में किया जा सकता है। इस जानकारी में मुख्य रूप से विगत वर्षों में पंचायत की आय एवं व्यय का विवरण, बाहरी स्त्रोत से आय का विवरण, पंचायत की परिसंपत्तियों का विवरण पंचायत एवं ग्राम सभा द्वारा जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत को पूर्व में भेजी गई योजनाओं का विवरण, विभिन्न मांग पत्र, लाभार्थी हितग्राहियों की विभिन्न सूचियां एवं प्रतिक्षित चयनित हितग्राहियों की सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

आय (संसाधन) का आकलन

सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से पूरी होने वाली जरूरतें, अन्य संसाधनों जैसे – अनुदान, पंचायत की अपनी आय, श्रमदान, जन भागीदारी से पूरी होने वाली जरूरतें। जरूरतों के हिसाब से आवश्यकता सूची तैयार कर लेनी चाहिए, उदाहरण के लिए गांव में सड़क एवं नाली निर्माण शासन के द्वारा चलायी जा रही पंच परमेश्वर योजना से कराया जा सकता है। जबकि गांव में शराबबंदी या नशामुक्ति के लिए बिना किसी विशेष लागत के समुदाय आधारित अभियान चलाकर गांव को नशामुक्त गांव बनाया जा सकता है।

पंचायत के रिसोर्स एनवलेप का निर्धारण

बजट बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पंचायत में पैसा कहां से और किस काम के लिए आता है? प्राप्त होने वाली राशि का अनुमान लगाकर अगले साल के खर्च का अनुमान लगाया जाता है। यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। उनमें से कई

योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, आदि। इनके लिए सरकार द्वारा पंचायतों को राशि दी जाती है। अतः बजट बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि वर्ष में सरकार द्वारा पंचायतों को किन-किन योजनाओं में कितनी राशि दी जाएगी। पंचायत को प्राप्त होने वाली राशि एवं आय के बारे में भाग-1 में विस्तार से बताया गया है।

नियोजन समिति का गठन

ग्राम स्तर पर एक 'नियोजन समिति' का गठन किया जाना चाहिये। इसके लिये गांव के हर वार्ड से पंच एवं एक अन्य सक्रिय सदस्य का चयन किया जाए। यदि वार्ड पंच महिला है तो सहयोगी सदस्य पुरुष तथा यदि वार्ड पंच पुरुष है तो सहयोगी सदस्य के लिये महिला का ही चयन करें। नियोजन समिति ग्राम सभा द्वारा गठित होगी इस समिति में पंचायत के सभी स्थाई समिति के सदस्यों को स्वतः ही जोड़ा जा सकेगा और जरूरत होने पर उनकी समिति के काम व दायित्व पर अलग से विषयवार, समिति वार उन्नुखीकरण करने की जरूरत होगी ताकि नियोजन के साथ-साथ, क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की जा सके। नियोजन समिति के गठन के साथ सरपंच को योजना प्रभारी व नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया जायेगा, पंचायत सचिव इस समिति का सचिव रहेगा।

कौन क्या करेगा ?

सभी काम समय पर पूरा करने के लिए काम का बटवारा और जिम्मवारी सौंपना जरूरी होता है। इसके लिए ग्राम सभा की समितियां तो बनी ही हैं, जरूरत होने पर अस्थायी समितियां भी बनाई जा सकती हैं। शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे तथा विभागीय अधिकारी जैसे-उपयंत्री, कार्यक्रम अधिकारी, पटवारी एवं पंचायत स्तरीय कर्मचारी व अन्य विभाग के अधिकारी जिनके साथ कन्वर्जेन्स किया जा रहा हो तकनीकि सहयोग प्रदान करेंगे।

क्रियान्वयन एवं देखरेख


वार्षिक कार्य योजना का निर्माण में क्रियान्वयन में किये धारा 46.(3) के तहत गठित स्थाई समिति, "निर्माण एवं विकास समिति" का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है की समिति के समस्त संबंधित सदस्य संयुक्त रूप से क्रियान्वित होने वाले सभी निर्माण कार्य को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रावक्कलन के अनुसार ही कार्यों को कराया जाने का दायित्व मिला है।

उपरोक्त के अलावा नीचे निम्नलिखित लोगों की सहभागिता भी नियोजन में बेहद जरूरी है :—

- सक्रिय महिला, बुजुर्ग, युवा, दिव्यांगजन, परिवार के वयस्क सदस्य।
- गांव के सामुदायिक संगठन, बचत समूह, समितियों इत्यादि के लोग।
- गांव के सक्रिय जॉब कार्डधारी मजदूर परिवार के लोग।

योजना निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि गांव के सभी वर्ग, जाति एवं विभिन्न समूह के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाये।

सूक्ष्मस्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण



नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है और उसे एक व्यवस्थित और कमबद्ध तरीके से करने से ही उचित परिणाम मिल सकते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना (सूक्ष्म स्तरीय नियोजन) की प्रक्रिया को मुख्य रूप से आठ चरणों में बांटा जा रहा है। इन चरणों से गुजरे बिना नियोजन का रूपरूप भटका हुआ दिखाई देगा इसलिए हम सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरणों के तहत कार्य करते हैं। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन के विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं –

प्रथम चरण : लोगों की सहभागिता से गांव की समस्याओं को पहचानना

योजना निर्माण समिति के सदस्य द्वारा गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव का सामाजिक एवं संसाधन मानचित्रण कर सकते हैं। इस मानचित्रण के माध्यम से गांव की बसाहट, जातिगत एवं सामाजिक व्यवस्था और गांव में उपलब्ध संसाधनों को समझने की कोशिश की जा सकती है। इसी के साथ –साथ समस्याओं की सूची भी तैयार की जा सकती है।

दूसरा चरण : समस्याओं की प्राथमिकता तय करना

जब सब समस्याओं को परिवार स्तर, मोहल्ले स्तर, गांव स्तर, एवं पंचायत स्तर पर चिह्नित कर लिया गया हो तो, इन समस्याओं को विषय वार भी देखा जा सकता है। जैसे–शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण से जुड़े मुददे इन विषयों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण विषय अधोसंरचना विकास का है, जिसमें सबसे अधिक वित्तीय व्यवस्था एवं तकनीकी ज्ञान व विभागीय सहयोग की आवश्यकता होती है।

समस्याओं के प्राथमिकी करण की विधि

हर समस्या की गंभीरता को कुछ बिन्दुओं को मापक मानकर सामूहिक रूप से अंक दिये जा सकते हैं। समस्या के प्राथमिकीकरण की विधि को हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं।

- समस्या ग्रस्त लोगों की संख्या के अधार पर अंक देकर
- बजट व वित्तिय सुनिश्चितता पर अंक देकर
- समस्या की गंभीरता के आधार पर अंक देकर

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर दिये गए अंकों का योग कर समस्याओं का प्राथमिकीकरण किया जा सकता है। जिस समस्या को सर्वाधिक अंक प्राप्त होंगे उसे पहली प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिये।

तीसरा चरण : समस्या के कारणों की पहचान करना

समस्याओं का प्राथमिकी करण कर लेने के पश्चात् समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करना भी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे पीने के पानी की समस्या के कई कारण हो सकते हैं जिसमें मुख्य रूप जल स्तर नीचे चले जाना हो सकता है। इस कारण हैण्डपम्प का बंद होना भी हो सकता है।

चौथा चरण : समस्या के हल के लिए विकल्प खोजना

समस्या के कारण का पता लगाने के बाद समुदाय के साथ समस्या को दूर करने के उपायों पर चर्चा करनी चाहिये। उपायों के विकल्प का चुनाव करते समय उस पर लगने वाला पैसा, लोगों की सहमति, तकनीकी बातें, समय-सीमा, पर्यावरण, सामाजिक प्रभाव, महिलाओं की लिए उपयोगी, आदि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार एक बीमारी को दूर करने के लिये कई तरह के उपचार होते हैं उसी प्रकार हर समस्या के निदान के कई विकल्प हो सकते हैं।

पांचवां चरण : गतिविधियों का निर्धारण करना व बजट बनाना

योजना निर्माण में गतिविधियों के निर्धारण का बहुत महत्व है। प्रत्येक गतिविधि को छोटी-छोटी गतिविधियों में तोड़ना तथा उन्हें पूरा करने की समय सीमा तय करना। गतिविधियों का क्रम तय करना अर्थात् कौन सी गतिविधि कब, किसके बाद की जानी है आदि का निर्धारण करना शामिल है।

छठवां चरण : जिम्मेदारी का बंटवारा एवं समय का निर्धारण करना

उपरोक्त गतिविधियों को पूरा करने में लगने वाले संसाधन जैसे – मजदूर, सामग्री, पैसा आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों को देना ताकि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा एक के पास बहुत ज्यादा काम भी न हो। लोगों के अनुभव, सहमति, रुचि के अनुसार उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।

सातवां चरण – अनुश्रवण, निगरानी एवं मूल्यांकन

योजना निर्माण के समय ही तय करा जाता है कि विभिन्न एजेंसियों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सतत निगरानी एवं मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आम जनता को ग्रामसभा के माध्यम से अपने गांव या पंचायत में कराए गए विकास कार्यों की राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने, क्रियान्वयन एजेंसियों की

जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय करने के लिये, सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रिया का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

आठवां चरण :— कार्य योजनाओं का समेकन एवं ग्राम सभा में अनुमोदन

नियोजन की इकाई पंचायत है। इसलिए आवश्यक है कि पंचायत के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम की विकास योजना बनाई जाये। सभी गांवों की विकास योजनाओं का समेकन ही पंचायत की विकास योजना कहलाएगी। ग्राम पंचायत विकास योजना का अनुमोदन पंचायत अथवा ग्राम स्तर पर हो सकता है। यदि कार्य योजनाएं ग्राम स्तर पर बन रही हैं तो इसे प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करवाने की आवश्यकता होती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार होने के बाद कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति आवश्यक है। पंचायते 15 लाख तक के कामों के प्रशासनिक स्वीकृति दे सकती है। यदि काम पचांयत की सीमा से बड़े बजट का हो तो संम्बंधित विभाग उसमें प्रशासनिक स्वीकृति देते हैं।

तकनीकी स्वीकृति के लिए पंचायतों को तकनीकि कर्मचारियों जैसे इन्जीनियर इत्यादि की मदद लेनी पड़ती है। मनरेगा में कार्यरत इन्जीनियर व सब इन्जीनियर, कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देते हैं व तकनीकि प्राकलन तैयार करते हैं। यदि काम किसी विभागीय बजट से हो रहा हो तो विभागीय इन्जीनियर अथवा शासकीय इन्जीनियरिंग विभाग के इन्जीनियर कार्यों को तकनीकी स्वीकृति देते हैं।

नोट : इस मेनुअल में पंचायत का बजट बनाने एवं ग्राम विकास योजना निर्माण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिये बजट बनाने एवं ग्राम विकास योजना निर्माण के संबंध में पृथक—पृथक प्रकाशित विस्तृत निर्देशिका का अध्ययन किया जा सकता है।